

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी.(अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक-पीए/सीबी/2014/1693-1707 दिनांक:-11-12-2014

Act No. 51 of 1983  
ACM. D.G.P. CHIEF INSPECTOR.....

### संशोधित आदेश

~~प्रधान विषय:- बलात्कार संबंधी प्रकरणों का संवेदनशीलता के राथ त्वरित गति से निष्पादन हेतु कार्य-योजना।~~

लैंगिक अपराधों से वच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ACT-2012) के अधीन वच्चों के विरुद्ध कारित लैंगिक अपराध एवं अपराध करित होने की आशंका से संबंधित सभी अपराधों व सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28-12-2012 एवं 789-850 दिनांक 24-01-2013 में आंशिक संशोधन किया जाकर निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि इनसे संबंधित अपराधों का अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा द्वारा बाद अनुसंधान निकर्ष एफ.आर. की सूत्र में अनुसंधान का सत्यापन सम्बन्धित वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

बलात्कार सहित हत्या, गैंग रेप का अनुसंधान पुलिस उप अधीकार/राहायक पुलिस आयुक्त रत्न के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(पंकज कुमार शिंह),  
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,  
सी.आई.डी.ओ(अपराध शाखा),  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 समरत अतिरिक्त पुलिस गहानिदेशक, राजस्थान, जयपुर। R.P.W.
- 3 समरत आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
- 4 समरत महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
- 5 निरेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- 6 समरत जिला कल्याण/अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई।
- 7 समरत अध्यक्ष बाल कल्याण समिति।
- 8 रामरत प्रिण्पल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यास बोर्ड।
- 9 समरत उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर को पालनार्थ।
- 10 समरत पुलिस अधीकार, राजस्थान को पालनार्थ।
- 11 समरत प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई को पालनार्थ।
- 12 समरत प्रभारी, महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ।
- 13 आदेश पत्रावली।

(पंकज कुमार शिंह),  
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,  
सी.आई.डी.ओ(अपराध शाखा),  
राजस्थान, जयपुर।